न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
भू–राजस्व निगरानी संख्या– 107/2009–10 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

श्री राधेश्याम
बनाम
श्री सुरेश चन्द्र आदि

बावत
मौजा–अधोईवाला, परगना परवादून,
तहसील व जनपद देहरादून।

आदेश

कलेक्टर, देहरादून द्वारा वाद संख्या–10/2007–08 अन्तर्गत धारा–28 भू–राजस्व अधिनियम सुरेश चन्द्र बनाम मामचन्द आदि में पारित आदेश दिनांक 12–03–2008 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी श्री सुरेश चन्द्र ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में धारा–28 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 06–02–2008 को वादी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। इस अदम पैरवी आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षी श्री सुरेशचन्द्र ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 12–03–2008 से स्वीकार करते हुए वाद पुनर्जीवित कर दिया। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी योजित की गई है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि जिस तिथि को वाद अदम पैरवी में निरस्त हुआ था उस दिन निगरानीकर्ता अवर न्यायालय में उपस्थित था, जबकि वादी अनुपस्थित था। वादी द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया गया जिसमें निगरानीकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अवर न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा–201 के प्राविधानों का संज्ञान लिये बिना ही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी द्वारा तर्क दिया गया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तरिम आदेश है और अन्तरिम आदेश की विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है। अन्तरिम आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 06–02–2008 को अवर न्यायालय में विचाराधीन वाद वादी की अनुपस्थित के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया था जिसके विरूद्व प्रतिपक्षी द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो विद्वान कलेक्टर द्वारा हर्जाने पर स्वीकार करते हुए वाद पुनर्स्थापित किया गया तथा प्रतिवादी/निगरानीकर्ता को नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए है जो कि एक आन्तरिम आदेश है और पक्षकारों को अवर न्यायालय में अभी सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर विद्यमान है।

अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

दिनांकः 12 अगस्त, 2013

(एस0के0 मुद्दू)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।